आज दिनांक 18.09.2014 को माननीय मनमोहन शर्मा, हि.प्र.से0 अतिरिक्त जिलाधीश, जिला सिरमौर, की अध्यक्षता में मैसर्स चन्देल एसोसिएटस मौजा मानपुर देवडा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी में स्थित खसरा नम्बर 1248/1026/912/2 एंव 911/679/3 तादादी 114.16.00 बीघा में आवंटित लीज भूमि से पत्थर,रेत, बजरी के लिये संग्रह/खनन हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पांवटा साहिब की सौजन्य से लोकजन सुनवाई का आयोजन ग्राम मानपुर देवडा, तहसील पांवटा साहिब में किया गया1 जिसमें गठित समिति के सदस्य एंव सुनवाई के दौरान उपस्थित लोगो सूची अनुबन्ध क पर है1

—0—

सर्व प्रथम हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता श्री अविनाश कुमार **श**ारदा द्वारा अध्यक्ष महोदय का जन सुनवाई हेतु स्वागत किया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति पर जन सुनवाई को प्रारम्भ किया गया। श्री **श** ारदा ने बताया कि मैसर्स चन्देल एसोसिएटस मौजा मानपुर देवडा,तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदे८ा में गिरी नदी में स्थित खसरा नम्बर 1248/1026/912/2 एंव 911/679/3 तादादी 114.16 बीघा भूमि पर पत्थर, रेत, बजरी के लिये खनन कार्य के लिये पर्यावरण मंजूरी दी जानी प्रस्तावित है जिसके लिये लोक जन सुनवाइ का आयोजन किया गया है1 उन्होने कहा कि खनन से होने वाले प्रभावो के लिये लोगो से आपत्ति तथा सुझावो को अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखने का आह्वान किया तथा कहा कि कोई भी व्यक्ति उक्त स्टोन क्रे६ार के लिये गिरी नदी से उक्त भूमि पर खनन के लिये किसी भी प्रकार की आपत्ति आ**शा**कायें हों तो वे निर्भय होकर अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है1 अध्यक्ष महोदय ने जन सुनवाई के दौरान उपस्थित लोगो को स्पष्ट किया कि उनके द्वारा खनन से होने वाले प्रभावों व सुझावों एंव आपत्तियों को यथा स्वरूप सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत करेगें तथा आह्वान किया कि वे बिना किसी भय से निर्भिक हो अपनी आपत्तियों व सुझाव जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कर सकते है।

मैसर्स चन्देल एसोसिएटस मौजा मानपुर देवडा,तहसील पांवटा साहिब,जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि ने जन सुनवाई के दौरान स्टोन क**श** र के लिये प्रस्तावित भूमि से खनन के बारे विस्तार से विस्तृत रिर्पोट प्रस्तुत की तथा बताया कि प्रस्तावित स्थल से अधिककतम 50100 मीट्रिक टन वाषिक किया जायेगा। उन्होनें बताया कि गिरी नदी से रेत बजरी पत्थर इत्यादि के खनन कार्य पर किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तेमाल नहीं किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से होने वाली धूल इत्यादि को कम करने के लिये खनन क्षेत्र में नियमित रूप से पानी का छिडकाव किया जायेगा1 उन्होने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित स्थल से केवल दिन के समय किया जायेगा जिससे कोई पर्यावरण का नुकसान न होगा तथा ना ही किसी प्रकार पानी की कमी होगी।

उन्होने कहा कि खनन का कार्य केवल प्रस्तावित स्थल पर ही किया जायेगा1 इसके इलावा प्रभावित क्षेत्रे के विकास किये जाने व्यय तथा कार्यो का उल्लेख किया तथा बताया कि सम्बन्धित पंचायत के इलावा भी अन्य पंचायतों के विकास कार्यो में सहयोग प्रदान किया जाता रहेगा।

जन सुनवाई के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों ने अपने सुझाव व आपत्यिां व्यक्त की:–

क.स	नाम पता एंव विवरण	निवारण
1	श्री रमे**श** कुमार पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत पुरूवाला ने जन सुनवाई के दौरान कहा कि गिरी नदी में खनन कार्य होने से पानी का बहाव सामान्य बना रहता है तथा भूमि कटाव नहीं होता1 उन्होनें कहा कि खनन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाये तथा खनन कार्य में लगे मजदूरों के लिये उचित **शौ**चालय बनाये जाये1 उन्होनें गिरी नदी से प्रस्तावित स्थल से खनन कार्य करने पर अपना समर्थन व्यक्त किया।	मैसर्स चन्देल एसोसिएटस के प्रतिनिधि ने आ**श**वासन दिया कि उनके स्थापित क्रे६ार पर पहले से ही **शौ**चालय का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित स्थल पर पौधारोपण लायक भूमि नही है फिर भी सम्बंन्धित पंचायत के सहयोग से वन भूमि पर पौधारोपण किये जाने की प्रस्तावना बनाई गई है जिससे पर्यावरण की स्थिति को यथोचित बनाये रखने में मदद मिलेगी।
2	श्री रछपाल सिंह नि0 **शि**वपुर ने कहा कि बरसात के समय गिरी नदी में पानी का स्तर काफी बढ जाने के कारण पहले कृषि योग्य भूमि का काफी नुकसान होता था तथा भूमि कटाव हो जाता था लेकिन खनन कार्य होने से पानी का बहाव सामन्य होकर निकल जाता है जिससे क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हो रहा है1 उन्होनें गिरी नदी से प्रस्तावित स्थल से खनन कार्य करने पर अपना समर्थन व्यक्त किया।	
3	श्री कमलजीत सिंह उप प्रधान ग्राम पंचायत **शि**वपुर ने व्यक्त किया कि खनन कार्य से नदी के पानी का स्तर सामान्य रहता है तथा कोई नुकसान नहीं होता है ।	

	उन्होनें प्रस्तावित स्थल से खनन कार्य करने के लिये अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होने यह भी कहा कि गरीब परिवार के लोगों को रेत वजरी कम दर के हिसाब से दी जाए।	
4	श्री प्रमोद कुमार निवासी मानपुर देवडा ने व्यक्त किया कि गिरी नदी से क्रे्ारर के लिये खनन कार्य से स्थानीय लोगो को रोजगार मिल है तथा उनका जीवन स्तर काफी खु्ाहाल हुआ है1 उन्होनें प्रस्तावित स्थल से खनन कार्य करने के लिये अपनी सहमति व्यक्त की।	
5	श्री नरेन्द्रपाल प्रधान ग्राम पंचायत मानुपर देवडा ने जन सुनवाई के दौरान व्यक्त किया उक्त क्रे्ारर जो मानपुर देवडा में स्थापित है के लिये मानपुर देवडा में प्रथम बार जन सुनवाई हुई है तथा बताया की पूर्व में गांव की कृषि योग्य भूमि पहले गिरी नदी में पानी अधिक आ जाने के कारण खराब हो जाती थी लेकिन गिरीनदी में खनन कार्य होने से नदी का पानी सामान्य रूप से आगे निकल जाता है तथा कृषि योग्य भूमि का भी नुकसान नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पंचाायत के 80 प्रति्ात लोग खनन कार्य में लगे हुये है जिन्हें घर के पास ही रोजगार मिला हुआ है। उन्होनें गिरी नदी से प्रस्तावित स्थल से खनन कार्य करने पर अपना समर्थन व्यक्त किया1	
6	श्री रामचन्द्र नि0 मानुपर देवडा ने व्यक्त किया कि क्रे्ारर पर लगे वाहनों के कारण रास्ते में काफी गहरे गडडे हो गये है जिस कारण लोगो का परे्ाानी का सामना करना पड रहा है 1 उन्होनें मांग की कि इस बारे उचित कार्यवाही की जाये1	मैसर्स चन्देल एसोसिएटस के प्रतिनिधि ने आशवासन दिया कि उनके स्थापित क्रे्ारर तक खनन साामग्री लाने वाले रास्तो पर आवशयकतानुसार पडे गढडो को भर दिया जायेगा ताकि स्थानीय लोगो को किसी भी प्रकार की परेश ाानी का सामना न करना पडे1
7	श्री फूल सिंह नि0 मानपुर देवडा ने व्यक्त किया कि खनन करने के स्थल पर पशुओं के चरागाह के लिये स्थान न होने के कारण समस्या का सामना करना पड रहा है तथा मांग की कि इस बारे उचित पग उठाये जाये1	मैसर्स चन्देल एसोसिएटस के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्तावित क्षेत्र गिरी नदी में आता है वहां पर चरागहा हेतू कोई भूमि नही है।

		लेकिन उन्होनें आशवासन दिया कि स्थानीय पंचायत के सहयोग से वन भूमि पर पशुओं की चरगाह के लिये उचित प्रकार के चारे का पौधारोपण किया जायेगा ताकि स्थानीय लोगो के पशुओं को पर्याप्त पशुआहार उपलब्ध हो सके1
8	श्री तौहिद नि0 मानपुर देवडा ने ने कहा कि उसकी अपनी भूमि भी नदी के किनारे है तथा नदी से खनन कार्य होने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि स्थानीय लोगो को रोजगार भी मिला हुआ है 1 उन्होनें व्यक्त किया कि क्शर प्रबन्धकों द्वारा स्थानीय पंचायत लोगो को सदैव अपना सहयोग देते आये है और चन्देल एसोसिएटस द्वारा स्कूल में के्टार का निर्माण किया गया है। तथा खनन कार्य का समर्थन किया	
9	श्री टीपू सुल्तान नि0 नवादा ने समर्थन करते हुये कहा कि खनन कार्य से कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी स्वंय की 30 बीघा भूमि गिरी नदी के किनारे पर स्थित है तथा खनन कार्य का समर्थन किया 1	
10	श्री जहांगीर अली पूर्व प्रधान नवादा ने व्यक्त किया कि सम्बन्धित क्शर प्रबन्धको द्वारा पूर्व में भी पौधारोपण किया गया है जिससे खनन क्षेत्र में पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उन्होनें गिरी नदी से प्रस्तावित स्थल से खनन कार्य करने पर अपना समर्थन व्यक्त किया1	
11	श्री भगां सिंह पूर्व प्रधान मानपुर देवडा ने जनसुनवाई के दौरान व्यक्त किया कि वर्ष 1978,1988 एंव 1998 को गिरी नदी में बाढ आने से लोगो की कृषि भूमि का काफी नुकसान हुआ था तथ उनकी काफी जमीन दरियाबूर्द हो गई थी लेकिन जब से गिरी नदी में खनन कार्य किया जा रहा है उनकी भूमि का नुकसान नहीं हो रहा है तथा के्द्यार प्रबन्धकों द्वारा दरियाबूर्द हुई भूमि को लीज पर लिया जाकर उचित मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होनें गिरी नदी से प्रस्तावित स्थल से खनन कार्य करने पर	

	अपना समर्थन व्यक्त किया1	
12	श्रीमति कमलजीत कौर सदस्य जिला परिषद सिरमौर जिला ने व्यक्त किया प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य पर प्रबन्धकों द्वारा धूल मिटटी एवं ध्वनी प्रदू**श**ण की रोकथाम के लिये उचित कदम उठाए जाएं। क्रे८ार लगने से स्थानीय लोगो को रोजगार मिला हुआ है उन्होनें यह भी आग्रह किया कि नदी मेसे पत्थर इत्यादि निकाले जाने चाहिए और गारीब लोगों को पक्के मकान बनाने में सहयोग दिया जाए। उन्होनें खनन कार्य करने पर अपनी सहमति व्यक्त की1	

हि.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता श्री शारदा ने जन सुनवाई मे पुनः आह्वान किया कि यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार की ७ांका हो तो जन सुनवाई के दौरान निःसकोंच बता सकता है1 इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये सुझावो एंव आपत्तियों का सारांश पुनः दोहराते हुसे बताया कि मैसर्स चन्देल एसोसिएटस मौजा मानपुर देवडा,तहसील पांवटा साहिब,जिला सिरमौर हिमाचल प्रदे६ा में गिरी नदी में स्थित खसरा नम्बर 1248/1026/912/2 एंव 911/679/3 तादादी 114.16. बीघा भूमि क्षेत्र में गिरी नदी से रेत,पत्थर बजरी आदि के संग्रह/खनन करने के पक्ष में लोगो सहमति व्यक्त की गई है इसके अतिरिक्त प्रबन्धन वर्ग द्वारा जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये सुझावो को दूर करने का आश्वासन जन सुनवाई के दौरान दिया गया1 कोई अन्य आक्षेप तथा सुझाव प्राप्त न होने पर अध्यक्ष महोदय से जन सुनवाई को समाप्त करने अनुमति चाही।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हि.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा जन सुनवाई का मंच उनकी सुनवाई हेतु प्रदान किया गया है तथा केवल विषय वस्तु एंव पर्यावरण की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिये तथा हर्ष व्यक्त किया कि पर्यावरण को लेकर लोग काफी जागरूक हुये है1 उन्होने आहवान किया कि प्रबन्धन किसी भी तरह से गैर कानूनी तरीके से खनन का कार्य नही करें जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पडें उन्होने चाहा कि खनन विभाग इन तथ्यों को सुनिचित करें कि लीज भूमि पर जितना खनन किया जाता है उसकी रिर्पोट तथा क्षेत्र का पूरा ब्यौरा बना कर नियमित रूप से उपलब्ध करवाया जाया करें। उन्होने कहा विकास के लिये पर्यावरण संतुलन को बनाये रखना चाहिये तथा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार से किया जाना चाहिये कि आने वाली पीढी को कोई नुकसान न हो।

अन्त में अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करते हुये जन सुनवाई सम्पन्न हुई।

अध्यक्ष

Details of issues raised during Public Hearing on 18.09.2014 at 02:00 PM for proposed Picking of stone for stone crusher of M/s Chandel Associates Organized by H.P. State Pollution Control Board at village Manpur Devra, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmour (HP).

No specific issues were raised against the project proponent for collection of sand, stone and bajri by working of the mining activity in the river bed by the local public, however, the people spoke during course of public hearing were satisfied with the working of the mining activities in the river bed as far as protection of environment, generating employment and up liftment of socio economic conditions by providing education etc. in addition to this the local public gave their views as below:

S.No.	**Issues Raised**	**Remarks on the issues raised**
1.	Mining of minor minerals is essentials for carring out developmental activities. As the river bed stones and sand is basic ingredients for construction of infructure development prject.	The management and public present in public hearing agreed to the proposal.
2.	The boulder stones sedements transported from hilly region during floods in the river resulted into increase in river bed level and causing damage to agriculture land.	The extraction of material as per the Mines and Mineral Rules shall be carried out in scientific manner.
3.	Local employment to youth by the mining activities directly or indirectly.	To provide employment to the local person is a part of the corporate social responsibility.
4.	To corporate social activities by providing assistance in the construction of Educational institutes and Temple etc.	The management informed that they are bound to participate in said activities under the mechanism of corporate social responsibility.
5.	To provide the material to the local people in concessional basis	The management shows their willingness to provide the material in the concessional basis to the local residents
6.	Construction of Toilets and plantation in the mining area.	The management agreed that to preserve the environment by construction of toilets and growing of plants in mined areas apart from sprinkling of water in damage roads.